

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION (ISRO)

AND

THE JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA)

**CONCERNING COOPERATION IN THE
FIELD OF OUTER SPACE**

The Indian Space Research Organisation (hereinafter referred to as "ISRO") of the Department of Space, Government of India, represented by its Chairman,

and

The Japan Aerospace Exploration Agency (hereinafter referred to as "JAXA") established by the Law concerning Japan Aerospace Exploration Agency (Law No. 161 of 13 December 2002, as amended), represented by its President,

hereinafter jointly referred to as the "Parties";

RECALLING the recent progress of bilateral cooperative relationship in the exploration and use of outer space for peaceful purposes between the Parties, since the Arrangement Concerning the Consideration of Potential Future Cooperation in the field of Outer Space between the Indian Space Research Organization and the Japan Aerospace Exploration Agency (hereinafter referred to as the "original Arrangement") was signed on October 13, 2005;

ACKNOWLEDGING the importance of space, including space technologies and applications as an increasing necessity to better understand our planet and to preserve its future;

AFFIRMING the importance of the mutual consultations and cooperation being exchanged between the Parties in relevant global and regional space fora;

CONFIRMING their mutual interest to establish a new overall framework to pursue future cooperation in the exploration and use of outer space for peaceful purposes between the Parties, with a view to reinforcing scientific and technological development as well as ties between both countries at governmental, industrial and academic levels;

RECOGNIZING the mutual benefits, especially in the field of economic and social development, that would result from the coordination of their efforts in the exploration and use of outer space;

Have reached the following understanding:

1. PURPOSE

The purpose of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the “Memorandum”) is to pursue future cooperative activities in the exploration and use of outer space exclusively for peaceful purposes in accordance with the laws and regulations applicable in each country and their international obligations.

2. FIELDS OF COOPERATION

The Parties will make best efforts to explore the possible cooperative activities with the aim of contributing to enhancing the social benefits, enhancing the scientific value of space missions, as well as advancing understanding of our planet and outer space. Potential fields of cooperation will be the followings:

- (a) Space applications (earth observation, satellite-based communication and navigation)
- (b) Exploration and space science;
- (c) Research and development (space systems and space technology)
- (d) Space industry promotion

Additional areas of cooperative activities may be added by mutual written arrangement of the Parties.

3. FORMS OF COOPERATION

Cooperative activities in the areas mentioned in-Section -2 of this Memorandum can be fulfilled in the following forms:

- (a) Exchange of views and information, consultation and discussions;

- (b) Joint research and applications of space technologies;
- (c) Realization of joint missions;
- (d) Joint use of satellite operation resources, particularly using telemetry, tracking and command (TT&C) systems, for effective mutual support to mission operations;
- (e) Joint organisation of workshops, fora, practical courses and training programmes including the utilization of their respective facilities;
- (f) Personnel exchange

4. COOPERATION ORGANIZATION

- (1) The Parties shall set up a Joint Working Group with members from both sides and co-chaired by nominees from both Parties. The Joint Working Group shall meet, as necessary, alternatively in India and Japan. The Joint Working Group shall be responsible for examining the cooperative projects, following up on their implementation, promoting cooperation between both countries within the ambit of this Memorandum, and in a general manner examining all questions with respect to the performance of this Memorandum and finding insofar as possible an amicable solution to any dispute that could arise between the Parties.
- (2) The Parties may set up project teams if necessary, to manage specific cooperative projects taken up under an Implementation Arrangement as mentioned in Section-5 of this Memorandum .
- (3) In order to facilitate communication and coordination efforts under this Memorandum, the Parties hereby designate their respective representatives as points of contact:

<u>For ISRO:</u> Scientific Secretary Indian Space Research Organisation Antariksh Bhavan, New BEL Road,	<u>For JAXA:</u> Director of International Relations and Research Department Ochanomizu sola city, 4-6 Kandasurugadai,
---	---

Bangalore -560 231.	Chiyoda-ku, Tokyo 101-8008 Japan
---------------------	-------------------------------------

5. APPLICATION OF THE MEMORANDUM

- (1) Each specific cooperative project undertaken under this Memorandum will be the subject to an Implementation Arrangement signed between the Parties.
- (2) The Parties will define the specific technical and detailed financial aspects of their cooperation, including details regarding participating technical and scientific personnel, the distribution of tasks among the Parties, the allocation of ways and means for the cooperative project, the rights on any intellectual property created, generated or developed in the performance of activities, and confidentiality in specific Implementation Arrangement.
- (3) The Parties will keep each other informed of their respective cooperative projects and the progress made in their implementation.

6. CONFIDENTIALITY

In the event that one Party finds necessary to disclose technical information, which should be appropriately protected, to the other Party through the performance of this Memorandum, such confidential information shall be specifically marked. Such confidential information shall be used by the receiving Party only for the purpose of cooperative activities under this Memorandum, and shall not be disclosed to any other entity without the prior written permission of the furnishing Party.

7. FINANCIAL ARRANGEMENTS

- (1) The Parties will bear the costs of their respective activities under this Memorandum, including travel and subsistence of their own personnel and transportation charges for their equipment, unless the Parties decide otherwise in writing.

- (2) The Parties understand that the ability to fulfil their respective roles and activities under this Memorandum and its relevant separate Implementation Arrangement is subject to their respective funding procedures, the availability of appropriated funds and their respective national laws. Should either Party encounter funding problems, which may affect its ability to fulfil its roles and activities under this Memorandum or under any relevant separate Implementation Arrangement, that Party will notify and consult promptly in good faith with the other Party.

8. STATUS OF THE MEMORANDUM

This Memorandum of Understanding is a declaration of intentions by the Parties and will not create any legally binding obligations under international laws.


9. ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

- (1) This Memorandum of Understanding will come into effect upon signature and will remain in effect for a period of five (5) years. It will be automatically extended for successive five (5) year periods, unless a Participant gives the other Participant a six months written notice of its intention not to extend the Memorandum.
- (2) The Parties may modify this Memorandum upon written mutual consent.
- (3) Either Party may terminate this Memorandum at any time by giving a six (6) months written notice to the other Party. In that event, the Parties will endeavour to minimize the negative impacts of such termination.
- (4) This Memorandum terminates and replaces the original Arrangement and applies, mutatis mutandis to any ongoing separate arrangements from the date of entry into force of this Memorandum.

- (5) In the event of the termination or expiration of the Memorandum, the Parties will continue to apply its matters to all separate Implementation Arrangements which will exist at the time of termination and to all ongoing projects and activities, unless they jointly decide otherwise.

Signed in duplicate at Tokyo this 11th day of November, 2016, in English, Hindi and Japanese languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

**FOR THE INDIAN SPACE
RESEARCH ORGANISATION**



Sujan R. Chinoy

Ambassador of India to Japan

**FOR THE JAPAN AEROSPACE
EXPLORATION AGENCY**



N. Okumura

Dr. Naoki Okumura
President, JAXA

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

एवं

जापान वांतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी (जाक्सा)

के बीच

समझौता ज्ञापन

बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में

सहयोग से संबंधित

अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (जिसे आगे से "इसरो" कहा गया है) जिसका प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष कर रहे हैं,

और

जापान वांतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी (नियम सं. 161, दिन. 13 दिसंबर, 2002, यथा संशोधित) से संबंधित कानून द्वारा स्थापित जापान वांतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी (जिसे आगे से "जाक्सा" कहा गया है) जिसका प्रतिनिधित्व उनके अध्यक्ष कर रहे हैं,

को आगे से संसुक्त रूप से "पक्षकार" कहा गया है;

13 अक्टूबर, 2005 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा जापान वांतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी के बीच बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में संभावित भावी सहयोग पर विचार करने के संबंध में हस्ताक्षरित करार (जिसे आगे से "मूल करार" कहा गया है) से पक्षकारों के बीच बाह्य अंतरिक्ष की खोज एवं शांतिपूर्ण उपयोग में द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में हाल की प्रगति का स्मरण करते हुए;

हमारे ग्रह को बेहतर समझने तथा उसके भविष्य के संरक्षण हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों एवं उपयोगों सहित अंतरिक्ष के महत्व की बढ़ती आवश्यकता को मानते हुए;

संबंधित वैश्विक तथा क्षेत्रीय अंतरिक्ष मंच में पक्षकारों के बीच पारस्परिक परामर्श एवं सहयोग के आदान-प्रदान के महत्व को स्वीकार करते हुए;

दोनों देशों के सरकारी, औद्योगिक तथा शैक्षणिक स्तर पर संबंधों तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक विकास को पुनः प्रबलित करने की दृष्टि से पक्षकारों के बीच बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं शांतिपूर्ण उपयोग में भावी सहयोग हेतु नए समग्र कार्य-ढाँचे को स्थापित करने हेतु उनकी पारस्परिक अभिसूचि की पुष्टि करते हुए;

पारस्परिक लाभों को, विशेष रूप से आर्थिक एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में जो बाह्य अंतरिक्ष की खोज एवं उपयोग में उनके समन्वित प्रयासों से प्राप्त होंगे, को पहचानते हुए;

निम्नलिखित समझौता करते हैं:

1. उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य (आगे से ज्ञापन कहा गया है) प्रत्येक देश के प्रवृत्त कानून एवं विनियमों के तथा उनके अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप बाह्य अंतरिक्ष की खोज एवं शांतिपूर्ण उपयोग में भावी सहयोगी क्रियाकलाप आयोजित करना है।

2. सहयोग के क्षेत्र

पक्षकार सामाजिक लाभों को बढ़ाने में योगदान करने, अंतरिक्ष मिशनों के वैज्ञानिक मूल्य को बढ़ाने और हमारे ग्रह तथा बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लक्ष्य से संभावित सहयोगी गतिविधियों की खोज करने हेतु अपने श्रेष्ठ प्रयास करेंगे। सहयोग के संभाव्य क्षेत्र निम्नलिखित होंगे:

- (क) अंतरिक्ष उपयोग (भू प्रेक्षण, उपग्रह आधारित संचार एवं नौवहन)
- (ख) अन्वेषण एवं अंतरिक्ष विज्ञान;
- (ग) अनुसंधान एवं विकास (अंतरिक्ष प्रणाली एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी)
- (घ) अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देना

पक्षकारों के पारस्परिक लिखित करार द्वारा सहयोगी गतिविधियों के अतिरिक्त क्षेत्रों को जोड़ा जा सकेगा।

3. सहयोग के रूप

इस ज्ञापन के भाग-2 में उल्लिखित क्षेत्रों में सहयोग के क्रियाकलापों को निम्नलिखित रूपों में पूरा किया जा सकता है:

- (क) विचार एवं सूचना, परामर्श तथा चर्चाओं का आदान-प्रदान;
- (ख) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का संयुक्त अनुसंधान एवं अनुप्रयोग;
- (ग) संयुक्त मिशनों की प्राप्ति;
- (घ) मिशन प्रचालनों हेतु प्रभावी पारस्परिक सहायता के लिए विशेषकर दूरमिति, अनुवर्तन एवं आदेश (टी.टी. एवं सी.) प्रणाली का उपयोग करते हुए उपग्रह प्रचालन अनुसंधान का संयुक्त उपयोग;

- (इ) कार्यशालाओं, मंच, व्यवहारिक पाठ्यक्रमों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयुक्त रूप से आयोजन जिसमें संबंधित सुविधाओं का उपयोग शामिल है;
- (च) कार्मिकों का आदान-प्रदान

4. सहयोग के संगठन

- (1) पक्षकार दोनों पक्षों के सदस्यों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना करेंगे जिसकी सह अध्यक्षता दोनों पक्षकारों के नामित व्यक्ति करेंगे। यह संयुक्त कार्यकारी दल आवश्यकतानुसार एकांतर रूप से भारत तथा जापान में बैठक करेगा। यह कार्यकारी दल सहयोग परियोजनाओं के परीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा, जैसे उनके कार्यान्वयन को देखना, इस ज्ञापन की परिधि में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और आम तौर पर इस ज्ञापन के निष्पादन से संबंधित सभी प्रश्नों की जाँच करना और पक्षकारों के बीच उठने वाले विवादों का यथासंभव सौहार्दपूर्ण निपटान कराना।
- (2) पक्षकार, यदि आवश्यक हो, परियोजना दल की स्थापना कर सकते हैं जो इस ज्ञापन के अनुच्छेद-5 में उल्लिखित कार्यान्वयन करार के तहत की गई विशिष्ट सहयोगी परियोजनाओं का प्रबंधन करेंगे।
- (3) इस ज्ञापन के तहत संचार एवं सहयोग के प्रयास करने के लिए पक्षकार अपने संपर्क बिंदु के रूप में अपने प्रतिनिधि नामित करेंगे:

इसरो के लिए: वैज्ञानिक सचिव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल. रोड, बैंगलूर- 560231	जाक्सा के लिए: निदेशक, अंतरराष्ट्रीय संपर्क एवं अनुसंधान विभाग ओकैनोमिजु, सोला शहर, 4-6 कन्डसुर्नगदर्ई, चियोदा-कु, टोकियो 101-8008 जापान
--	--

5. ज्ञापन का उपयोग

- (1) इस ज्ञापन के अंतर्गत शुरू की गई प्रत्येक विशिष्ट सहयोगी परियोजना पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित कार्यान्वयन करार के अधीन होंगी।

- (2) पक्षकार अपने सहयोग के विशिष्ट तकनीकी एवं विस्तृत वित्तीय पहलुओं को निर्दिष्ट करेंगे जिनमें भागीदार तकनीकी एवं वैज्ञानिक कार्मिकों से संबंधित विवरण, पक्षकारों के बीच कार्य का वितरण, सहयोगी परियोजना के तरीके एवं साधनों का आबंटन, क्रियाकलापों के निष्पादन में सृजित, तैयार किए गए या विकसित बौद्धिक संपदा का अधिकार और विशिष्ट कार्यान्वयन करार में गोपनीयता शामिल होगी।
- (3) पक्षकार अपनी संबंधित सहयोगी परियोजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन में की गई प्रगति के बारे में एक दूसरे को सूचना देंगे।

6. गोपनीयता

ऐसे मामले में जहाँ एक पक्षकार तकनीकी सूचना को प्रकट करना आवश्यक समझे, जिसकी उचित रूप से रक्षा की जाती हो, अन्य पक्षकार, इस ज्ञापन के निष्पादन के जरिए ऐसी गोपनीय सूचना को विशेष रूप से चिह्नित करेगा। ऐसी गोपनीय सूचना प्राप्त करने वाले पक्षकार द्वारा इस ज्ञापन के तहत सहयोगी क्रियाकलापों के उद्देश्य हेतु उपयोग की जाएगी और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उसे किसी अन्य इकाई को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए।

7. वित्तीय व्यवस्था

- (1) पक्षकार इस ज्ञापन के तहत अपने संबंधित क्रियाकलापों का व्यय वहन करेंगे जिसमें उनके उपकरणों का परिवहन प्रभार तथा कार्मिकों की यात्रा एवं निर्वहन का व्यय शामिल है, जब तक कि पक्षकार अन्यथा पर लिखित में निर्णय न लें।
- (2) पक्षकार यह समझते हैं कि इस ज्ञापन के तहत उनकी संबंधित भूमिका तथा गतिविधियाँ और इससे संबद्ध पृथक कार्यान्वयन करार उनकी संबंधित निधि प्रक्रिया, उचित निधि की उपलब्धता तथा उनके संबंधित राष्ट्रीय कानून के अधीन हैं। यदि किसी भी पक्षकार को निधि संबंधी समस्या होती है जोकि इस ज्ञापन या संबद्ध पृथक कार्यान्वयन करार के तहत अपनी भूमिका अदा करने या अपने क्रियाकलापों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित होती है तो पक्षकार अन्य पक्षकार को शीघ्र एवं सन्देशनापूर्वक सूचना देगा और परामर्श करेगा।

8. ज्ञापन की स्थिति

यह समझौता ज्ञापन पक्षकारों द्वारा अभिप्राय की घोषणा है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत कोई भी कानूनी दायित्व उत्पन्न नहीं करेगा।

9. लागू होना, अवधि एवं समापन

- (1) यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने की तिथि से लागू होगा और पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा। यह स्वतः ही आगे की पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा जब तक कि एक भागीदार इस ज्ञापन को आगे न बढ़ाने की अपनी इच्छा छः महीने की लिखित सूचना द्वारा दूसरे भागीदार को नहीं दे देता।
- (2) पक्षकार लिखित पारस्परिक सहमति पर इस ज्ञापन को संशोधित कर सकते हैं।
- (3) कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार को छः (6) महीने की लिखित सूचना देते हुए किसी भी समय इस ज्ञापन को समाप्त कर सकता है। उस परिस्थिति में, पक्षकार ऐसे समापन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के प्रयास करेंगे।
- (4) इस ज्ञापन के लागू होने की तिथि से किसी अन्य चालू व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित यह ज्ञापन समाप्त होगा और मूल व्यवस्था प्रतिस्थिपित होगी तथा लागू होगी।
- (5) इस ज्ञापन के समापन या पूरा होने पर पक्षकार अन्य कार्यान्वयन की सभी व्यवस्थाओं पर, जो समाप्ति के समय विद्यमान रहेंगी और सभी चालू कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर अपने मामलों का लागू होना जारी रखेंगे जब तक कि इस पर संयुक्त रूप से अन्यथा निर्णय नहीं होता।

अंग्रेजी, हिंदी एवं जापानी भाषाओं में दो प्रतियों में टोक्यो में ११ नवम्बर, 2016 को हस्ताक्षरित इसके सभी पाठ प्राधिकृत है। किसी भी प्रकार के मतभेद की परिस्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वमान्य होगा।

कृते भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

कृते जापान वांतरिक्ष अन्वेषण

एजेंसी

सुजान इ. चिनॉय

सुजान र. चिनॉय

जापान में भारत के राजदूत

N. Chinen

डॉ नाओकी ओकुमूरा

अध्यक्ष, जाक्सा

インド宇宙研究機関（ISRO）と
宇宙航空研究開発機構（JAXA）との間の
宇宙分野における協力に関する了解覚書

総裁により代表される、インド政府宇宙省のインド宇宙研究機関（以下、「ISRO」という）

及び

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（2002年12月13日法律第161号、その改正を含む）の下に設立された理事長により代表される国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下、「JAXA」という）は、

以下、総称して「両当事者」と称され、

2005年10月13日に署名されたインド宇宙研究機関と宇宙航空研究開発機構との間の宇宙分野における将来の協力可能性検討に関する取決め（以下「原取決め」という）以降、近年の両当事者間の平和目的のための宇宙空間の探査及び利用に関する機関間の協力関係の進展を想起し、

地球に対する理解を深めその将来を保全する必要性が増加していることに伴い、宇宙技術及び利用を含め宇宙がますます重要になっていることを認識し、

両当事者が、関係の国際的・地域的な宇宙分野の会議体を通じて、相互に協議や協力を進めていることの重要性を確認し、

両国の科学技術の発展や、政府・産業・学術の各レベルにおける連携の強化に向けて、当事者間において、平和目的のための宇宙空間の探査及び利用における将来的な協力を模索するために、新たな包括的枠組みを構築することの共通の关心を確認し、

宇宙空間の探査及び利用における双方の試みに関する調整が、特に経済・社会開発分野において共通的な利益を創出することを認識し、

以下のとおり合意する。

1. 目的

本了解覚書（以下、「覚書」という）の目的は、両国に適用される法令及び国際的義務の範囲内で、専ら平和目的のための宇宙空間の探査及び利用における将来の協力活動を模索することである。

2. 協力分野

両当事者は、社会的利益の拡大、宇宙ミッションの科学的価値の拡大並

びに地球と宇宙に対する理解の促進への貢献という目標の下で、協力可能な活動を模索するよう最大限努力する。潜在的な協力分野は以下のとおり。

- (a) 宇宙利用（地球観測、衛星通信及び測位）
- (b) 探査及び宇宙科学
- (c) 研究及び開発（宇宙システム及び宇宙技術）
- (d) 宇宙産業促進

書面による双方の合意により、他の協力活動も追加される可能性がある。

3. 協力形態

本覚書の第2条に規定される各分野の協力活動は、以下の形態によって実行することができる。

- (a) 意見及び情報の交換、協議及び議論
- (b) 宇宙技術に関する共同研究及び利用
- (c) 共同ミッションの実現
- (d) ミッション運用を効果的かつ相互に支援するために、特にテレメトリー・追跡・管制(TT&C)システムを用いた衛星運用リソースの共同利用
- (e) 各当事者の施設の利用を含むワークショップ、フォーラム、実務講座及び訓練プログラムの共同開催
- (f) 人材交流

4. 協力の編成

(1) 両当事者は、共同ワーキンググループを設置する。共同ワーキンググループは、双方のメンバーで構成され、両当事者は共同議長をそれぞれ指名するものとする。共同ワーキンググループは、必要に応じて、インド及び日本で交互に開催される。共同ワーキンググループは、協力プロジェクトの検討、協力プロジェクト履行のフォロー

アップ、本覚書の範囲での両国間の協力の促進、本覚書の履行に関するあらゆる問題の実際的な検討、並びに両当事者間で論争が発生する場合には可能な限り友好的な解決方法を見出すことを担当する。

- (2) 両当事者は、本覚書の第5条に記載される実施取決めの下で実施される個別のプロジェクトの運営のため、必要に応じてプロジェクトチームを設置することができる。
- (3) 本覚書の下での連絡及び調整を促進するために、両当事者は、各々の代表者を連絡窓口として任命する。

<u>ISRO:</u>	<u>JAXA</u>
Scientific Secretary Indian Space Research Organization Antariksh Bhavan, New BEL Road, Bangalore -560 231.	宇宙航空研究開発機構 調査国際部長 〒101-8008 東京都千代田区 神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ

5. 本覚書の適用

- (1) 本覚書の下で着手される個別の協力プロジェクトは、両当事者が署名する実施取決めに従うものとする。
- (2) 両当事者は、実施取決めにおいて、参加する技術者及び科学者、両当事者間の役割分担、協力プロジェクトの実施方法や手段の割り当て、活動の遂行により創出される知的財産権、守秘義務を含む、協力に関する個別の技術的及び詳細な財務的条件を規定する。
- (3) 両当事者は、個別の協力プロジェクト及びその実施の進捗状況について、相互に逐次報告する。

6. 守秘義務

本覚書の遂行を通じて、各当事者が相手方に対して適切に秘匿すべき技術情報を開示することが必要となる場合、当該秘密情報は、個別に識別が付されなければならない。当該秘密情報は、本覚書の下で実施される協力

活動の目的にのみ受領側の当事者によって使用されなければならない。また、提供側の当事者における事前の書面による同意無く、他の機関に開示されてはならない。

7. 資金措置

- (1) 両当事者は、書面による別途の合意が無い限り、旅費、日当、機材輸送費を含め、本覚書の下で実施する各々の活動に関する費用を負担する。
- (2) 両当事者は、本覚書及び関連する個別の実施取決めの下での各々の役割及び活動を遂行する能力は、各々の資金手続き、割り当てられた資金の利用可能性及び各々の国内法に従うこと理解する。各当事者が本覚書又は個別の実施取決めの下でその役割と活動を遂行する能力に影響しうる資金的問題に直面した場合、当該当事者は相手方に速やかに通知し、誠実に協議を行うものとする。

8. 本覚書の位置付け

本覚書は両当事者による意思表明であり、国際法上、いかなる法的拘束力を有する義務も生じさせない。

9. 発効、期間及び終了

- (1) 本覚書は署名により発効し、5年間効力を有する。いずれかの当事者が相手方当事者に対し、覚書の延長をしない旨を6か月前に書面で通告しない限り、自動的に継続し5年間延長される。
- (2) 両当事者は書面による双方の合意により、本覚書を変更することができる。
- (3) いずれかの当事者は相手方当事者に6か月前に書面で通告することにより、何時でも本覚書を終了することができる。その場合、両当事者は、終了に伴う負の影響を最小限に留めるよう努力する。
- (4) 本覚書は、原取決めを終了し、原取決めに代わり、本覚書の発効以

後、いずれの現行の別個の取り決めに準用される。

(5) 本覚書が終了または失効した場合、両当事者は、連帶して別段決定しない限り、終了の際存在する別個のすべての取り決め及び実施中のすべてのプロジェクトと活動に本覚書の事項を適用し続けるものとする。

2016年 11月 11日に 東京において、英語、ヒンディー語、日本語でそれぞれ本書2通に署名し、いずれも等しく正文とする。相違がある場合には、英語の正文が優先する。

インド宇宙研究機関

宇宙航空研究開発機構



インド共和国駐日特命全権大使

スジャン・R・チノイ 大使



奥村直樹 理事長